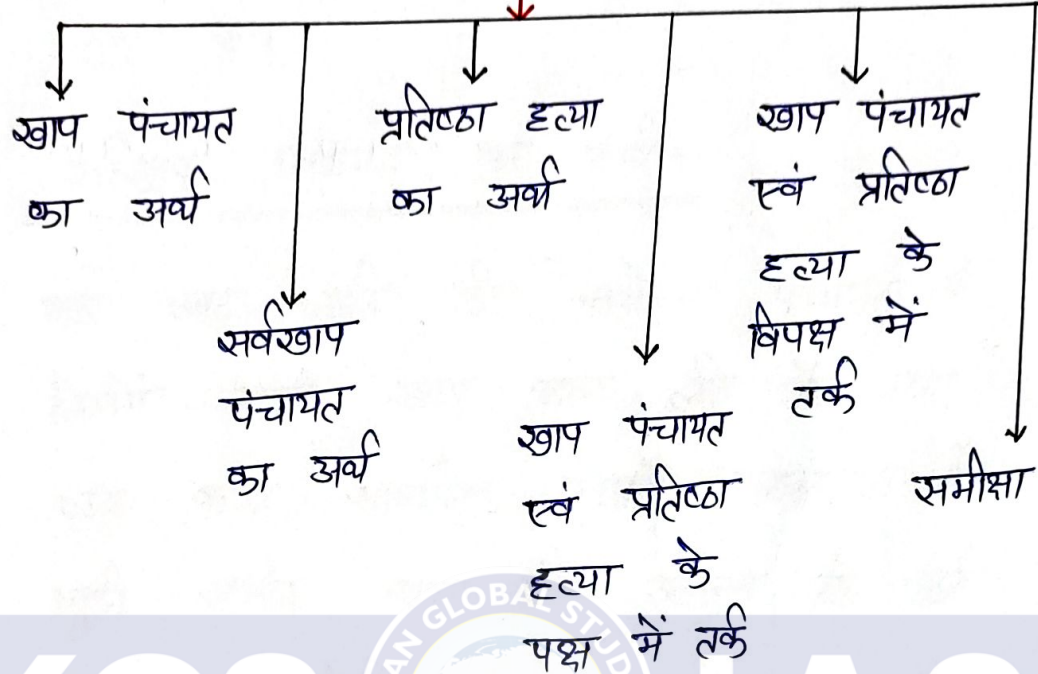


खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा दल



अर्थ →

सामाजिक प्रशासन की व्यवस्था हेतु निर्मित एक समूह जो मुख्यतः, गोत्र समूह होता है और जिसका संबंध जाट जाति से है व जिसके अंतर्गत कई गाँव शामिल होते हैं। ये गाँव वाले मुख्यतः एक ही गोत्र के होते हैं जिनके नाम से यह खाप पंचायत जानी जाती है, परंतु

इन गाँवों में रहने वाले दूसरे गोत्र एवं जाति के लोग भी इनमें शामिल होते हैं।

सर्वखाप पंचायत का अर्थ →

यह जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत है। जिसमें सभी खाप भाग लेते हैं तथा जब कभी सामाजिक नियमों परंपराओं से जुड़ी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं या कोई आधुनिक समस्या भी उत्पन्न होती है, जिसका समाधान खाप स्तर पर नहीं हो पाता है तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन होता है व उनका निर्णय मानना अनिवार्य होता है।

प्रतिष्ठा दल का अर्थ →

वह दल जो परंपराओं, मान्यताओं, जातिगत

नियमों आदि के उल्लंघन करने वालों
को परंपरा संरक्षण के नाम पर डी
जाती है, प्रतिष्ठा हत्या कहलाती है।

छाप पंचायत से जुड़ी / संबंधित प्रमुख
घटना एवं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय →

4 जून 2007 में हरियाणा के कैथल जिले
के करोश गाँव के एक नव-दंपति
मनोज एवं बबली की हत्या का निर्णय
छाप पंचायत द्वारा प्रतिष्ठा हत्या के
नाम पर दिया गया क्योंकि वे दोनों
जाट जाति के एक ही गोत्र बनवाल
से संबंधित थे।

• मार्च 2010 में अपरोक्ष हत्या के लिए
5 दोषियों को मृत्युदण्ड दिया गया।
• छाप पंचायत के ऐसे

निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शाप पंचायत को गैर-कानूनी कर दिया, इसे कंगारू कोर्ट की संज्ञा दी और प्रतिष्ठा दृष्टा को असम्भव व घृणारूपद एवं गैर-कानूनी बताया।

- सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों (तमिलनाडु में कट्टा पंचायत आदि) के प्रतिष्ठा दृष्टा मामलों से संबंधित DM एवं अन्य अधिकारियों को निलंबित करके और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने और विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया ताकि ऐसी दृष्टाओं को रोक जा सके।

- २७ मार्च २०१८- शक्ति वाहिनी (NGO) के PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय

दिया कि-

यदि दो बालिगों ने अपनी मर्जी से शादी की है तो इस शादी को लेकर खाप पंचायत का फरमान गैर-कानूनी है और यदि ऐसा कोई संगठन करता है तो इसे रोकने हेतु केन्द्र सरकार को कानून का निर्माण करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिष्ठा दत्ता एवं खाप पंचायत द्वारा ऐसे विवाह को रोकने के फैसलों को रोकने हेतु दस बिन्दुओं का एक गाइडलाइन जारी किया गया और कहा गया कि - जब तक केन्द्र सरकार इस पर कोई कानून का निर्माण नहीं कर लेगी तब तक यह गाइडलाइन

जारी रहेगा।

खाप पंचायत की अन्य गतिविधियाँ
एवं निर्णय →

- विवाह संबंधी परंपरागत निषेधों के उल्लंघन करने वालों के दंड का निर्णय।
- पारिवर्ती संस्कारों के अंधानुकरण करने का विरोध।
- दहेज, कन्या श्रम दंड, श्रम अधिग्रहण, बाल विवाह आदि का विरोध।
- स्त्री शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं जातीय आधारित आरक्षण का समर्थन।

खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा दंड के
पक्ष में तर्क →

- परंपराओं की रक्षा एवं पहचान संकट

का समाधान।

- विवाह संबंधी निषेधों के पालन से रक्त मिश्रण से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से रक्षा।
- सामुदायिक एकता में सहायक।
- सामाजिक प्रशासन में सहायक।
- दबाव समूह के रूप में सक्रिय होकर शांति के विकेंद्रीकरण एवं लोकतंत्र के विकास में सहायक।
- आधुनिक मुद्दों का समर्थन करके, आधुनिक समाज के निर्माण में सहायक (जैसे- दहेज प्रथा का विरोध, कन्या श्रृण हत्या का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन आदि)।

खाप पंचायत एवं प्रतिष्ठा हत्या के
विपक्ष में तर्क →

- परंपरा के नाम पर कट्टरतावाद को बढ़ावा [सर्वोच्च न्यायालय] ।
- संवैधानिक मूल्यों के विपरीत व गैर - कानूनी ।
- आधुनिक समाज के निर्माण में बाधक ।
- पितृसत्तात्मकता का संरक्षण व लिंग समानता का विरोध ।
- अमानवीय गतिविधि ।

समीक्षा →

हाल के वर्षों में खाप पंचायत की गतिविधियों में, प्रतिष्ठा हत्या जैसे

मामलों ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है क्योंकि यह गैर - कानूनी , अलोकतांत्रिक एवं अमानवीय है, इसलिए इसमें संलग्न लोगों को कठोर दण्ड देना चाहिए, पीड़ितों को संरक्षण देना चाहिए और ऐसे निर्णयों को रोकना जाना चाहिए।

• राष्ट्रपति पंचायत की इस नकारात्मक भूमिका को देखते हुए प्रश्न स्वभा-
विक हो जाता है कि - क्या इसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए?



इस संदर्भ में निष्कर्ष है कि -
इस प्रकार की पंचायत को पूर्णतः
समाप्त करना न तो तर्कसंगत है
और न ही व्यवहारिक रूप से

संभव है। इसलिए इसके नकारात्मक कार्यों पर कठोरता से रोक लगाते हुए, इसके सामूहिक ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए।

कन्या श्रृंखला द्वारा, स्त्री शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि के पक्ष में इस पंचायत को जागरूकता का भंडार बनकर इसके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

Q1- प्रतिष्ठा द्वारा क्या है? क्या यह हमारे सामाजिक/परम्परा संरक्षण हेतु उपयुक्त है? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।